रामगढ़

18.3.25

पत्रावली पेश हुयी। इस प्रा. पत्र से संबंधित वाद की पत्रावली मे प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नि. 11 सीपीसी स्वीकार किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप वाद को खारिज किया गया है। इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को इस न्यायालय मे अब आगे चलाया जाना संभव नही है। अतः प्रा. पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़